

अनुसूचति जात, जनजात व ओबीसी आरक्षण संबंधी स्थायी समति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की अनुसूचति जातियों, अनुसूचति जनजातियों व अन्य पछिड़े वर्गों के लिये स्थायी आरक्षण समतिक गठन कया है।

प्रमुख बदि

- छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचति जातियों, अनुसूचति जनजातियों व अन्य पछिड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत इस समतिक गठन कया गया है।
- राज्य के आदमि जात विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सहि टेकाम की अध्यक्षता में गठति आठ सदस्यीय इस स्थायी समति में पाँच वधायक और सामान्य प्रशासन वधायक व आदमि जात विकास वधायक के सचवि शामिल हैं।
- समतिक मुख् कार्य अधनियम व उसके अधीन बनाए गए नयिमों के उपबंधों के कार्यान्वयन का पुनर्वलोकन करना है।
- इसके अलावा यह समति अधनियम व उसके अधीन बनाए गए नयिमों के उपबंधों के कार्यान्वयन में आने वाली कठनाइयों को दूर करने के उपायों पर सुझाव भी देगी।
- अधनियम के प्रावधानों के तहत स्थायी समतिक कार्यकाल दो वर्ष होगा।
- गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 4 सतिंबर, 2019 को अध्यादेश के माध्यम से प्रदेश में अन्य पछिड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कया था, जसि हाईकोर्ट ने स्थगति करते हुए क्वॉटफिबल डाटा प्रस्तुत करने का नरिदेश दया था।